

**राजस्थान सरकार**  
**स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर**

क्रमांक : प.1(ग)( )का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./16/8931

दिनांक : 7/11/2016

-: आदेश :-

राजस्थान नगर पालिका (अधिनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) नियम 1963 के नियम 22 (1)के प्रावधानों के अन्तर्गत सहायक राजस्व निरीक्षक के रिक्त पदों पर निम्नांकित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित नगर निगम/परिषद/पालिकाओं में नियुक्ति दिये जाने की एतद् द्वारा निर्देशानुसार स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र. स.	रोल नम्बर	अभ्यर्थी का नाम	जन्म दिनांक	वर्ग	पदस्थापित निकाय का नाम
1	12147375451	श्री पुरोहित सुशील कुमार	3/14/1990	GEN	सिरोही
2	21452351557	श्री राकेश कुमार	6/16/1983	OBC	गंगापुर (भीलवाडा)
3	12147375537	श्री महेन्द्र कुमार राजपुरोहित	5/2/1994	GEN	पिण्डवाडा
4	11414360906	श्री विक्की शर्मा	2/7/1991	GEN	देवगढ़
5	21422319628	श्री पुरनेन्दु शर्मा	11/10/1991	GEN	निम्बाहेडा
6	21452352134	श्री महेश कुमार निठारवाल	6/5/1992	OBC	नीमकाथाना
7	31739371516	श्री मनमोहन शर्मा	6/10/1993	GEN	कापरेन
8	31410357135	श्री मनीष कुमार उपाध्याय	10/10/1993	GEN	राजगढ़ (अलवर)
9	31207208669	श्री मुकुलकामरा	7/1/1982	GEN	नापासर
10	12147339434	श्री प्रभुराम	7/1/1988	OBC	सांचोर
11	41414215696	श्री सोरब गर्ग	10/3/1990	GEN	कोटपूतली
12	11418377924	श्री बजरंग लाल स्वामी	11/16/1992	OBC	शाहपुरा (जयपुर)
13	31420291162	श्री रजत जैन	11/14/1992	GEN	चूरु
14	21421253389	श्री महेश कुमार	5/7/1991	OBC	खण्डेला
15	11527230087	श्री सुरेन्द्र सिंह भाटी	10/11/1986	GEN	बिलाडा
16	11418293438	श्री सुर्यकान्त शर्मा	6/24/1992	GEN	चौमू
17	21419358468	श्री अक्षय राजपुरोहित	10/20/1989	GEN	पीपाडसिटी
18	21527295198	श्री विक्रम सिंह विष्णोई	7/11/1991	OBC	फलोदी
19	21632231915	श्री शैतान सिंह राजपुरोहित	6/13/1989	GEN	जयपुर
20	31414214422	श्री धर्मेन्द्र दूकिया	8/20/1991	OBC	नांवा
21	11629266259	श्री रवि राठौड	4/28/1985	OBC	झालरापाटन
22	41419286846	श्री रतन सिंह लाम्बा	1/1/1980	OBC	झुंझुनू
23	21527230881	श्री अभिषेक चारण	3/30/1989	OBC	जालोर
24	11207208221	श्री राधेश्याम छींपा	6/30/1991	OBC	नोखा
25	11452354370	नीरू भाटी	12/5/1991	GEN	जयपुर
26	22046374196	मनप्रीत कौर	8/5/1986	GEN	हनुमानगढ़
27	41933245118	अरुणा शर्मा	6/9/1981	GEN	खेतडी




28	41410357267	श्री राजकुमार कसाना	3/11/1993	SBC	किशनगढ़ (अजमेर)
29	11421285519	श्री योगेश कुमार गुर्जर	8/21/1990	SBC	बहरोड
30	31457288603	रीतु शर्मा	8/20/1994	GEN	किशनगढ़बास
31	31410322551	गरीमा शर्मा	6/20/1992	GEN	जयपुर
32	31458218381	करीश्मा कविया	3/8/1992	GEN	फुलेरा
33	41458218523	श्री अशोक कुमार मीणा	8/13/1990	ST	साम्भर
34	31761301443	श्री धरम कुमार मीणा	1/11/1984	ST	रामगंजमण्डी
35	31738372212	श्री धर्मेन्द्र कुमार बोयल	11/21/1991	SC	मण्डावा
36	11452349596	श्री पुखराज मीणा	7/10/1994	ST	भवानीमण्डी
37	11001281152	श्री तेज भान सिंह	2/16/1991	ST	माण्डलगढ़
38	21457264454	श्री राजकुमार	4/20/1989	SC	डीग
39	21411254445	श्री पवन कुमार	1/15/1990	ST	ईटावा
40	41207208147	अर्चना भादू	7/26/1993	OBC	बीकानेर
41	31527265939	श्री लक्ष्मण	6/12/1991	SC	बालोतरा
42	31452349290	श्री महेन्द्र कुमार मौर्या	7/3/1992	SC	महुआ
43	21417209268	श्री मुकेश कुमार मीणा	5/5/1990	ST	देवली
44	11410260863	दीपिका	5/12/1994	OBC	भादरा
45	11452354909	श्री मनीष गोर	7/1/1990	SC	अंता
46	21103205323	भावना मीणा	9/2/1987	ST	अलवर
47	21629328498	कल्पना मीणा	2/1/1992	ST	सवाईमाधोपुर
48	11452351317	श्री राज कुमार परेवा	7/15/1992	SC	रानी
49	21452349154	नेहा मण्डावरीया	6/26/1990	SC	जोबनेर
50	11414227265	उषा वर्मा	7/27/1990	SC	विराटनगर
51	21630364769	सीमा वर्मा खटीक	8/6/1983	SC	कैथून
52	32046374320	अंजू	12/12/1987	OBC	संगरिया
53	31452351088	पार्वती सोनी	5/5/1982	OBC	जयपुर
54	21760242520	श्री भूपेश ओदिच्य	1/4/1982	GEN	नाथद्वारा
55	31740241839	श्री कैलाश पाटीदार	6/23/1990	GEN	डूंगरपुर
56	31761371847	श्री राहुल कुमार मीणा	1/1/1992	ST	उदयपुर
57	21422355981	श्री हेमाराम	6/30/1976	ST	सलुम्बर

01. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं योग्यता संबंधी प्राथमिक जांच विभाग द्वारा की जा चुकी है, किन्तु अभ्यर्थी की पात्रता एवं योग्यता संबंधी सम्पूर्ण जांच एवं सत्यापन संबंधित निकाय के आयुक्त/उपायुक्त/अधिकाधी अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर भी की जावे। नगरीय निकाय द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसरण में पदभार ग्रहण करने के उपरान्त ही फिक्स वेतन नियमानुसार देय होगा।
02. यह चयनित अभ्यर्थियों की सूची, अभ्यर्थियों के दस्तावेजों के परीक्षण के अध्यक्षीन रहेगी। किसी अभ्यर्थी का चयन गलत दस्तावेज प्रस्तुत करने के आधार पर हो गया हो तो उक्त नियुक्त अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश एवं सेवाएँ तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।



03. सहायक राजस्व निरीक्षक पद पर चयनित अभ्यर्थियों को सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक से पुलिस चरित्र सत्यापन करवाने के बाद ही नियुक्ति दी जावे।
04. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सरकारी चिकित्सक से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
05. उपरोक्त कार्मिकों को वित्त विभाग के आदेश संख्या: एफ.12(2)एफडी/रूल्स/ 2005 दिनांक 20.04.2006 मे वर्णितानुसार निर्धारित समयावधि तक फिक्स रेम्यूनरेशन देय होगा।
06. यह आदेश आयोग के सम्बन्धित रिकार्ड एवं चयनित अभ्यर्थी के दस्तावेजों व अन्य शर्तों के आधार पर यदि सहवन या अन्य कारण से हुई त्रुटि को संशोधित किये जाने के अध्यक्षीन रहेगा।
07. उपरोक्त पदों को भरे जाने के कारण होने वाला वित्तीय भार नगर निकायों के द्वारा ही वहन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इन पदों के लिए अलग से कोई अनुदान देय नहीं होगा।
08. नगर निकायों को आवंटित चयनित सहायक राजस्व निरीक्षक इस आदेश के जारी होने की दिनांक से अधिकतम 7 दिवस की अवधि में आवंटित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष मूल दस्तावेज सहित लिखित आवेदन के साथ उपस्थित होंगे जिसको संबंधित निकाय द्वारा रिकार्ड पर लिया जावेगा। इस अवधि के पश्चात इस आदेश के अन्तर्गत सहायक राजस्व निरीक्षक पद हेतु चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करने के अधिकारी नहीं होंगे और नियुक्ति का अधिकार स्वतः ही समाप्त हो जावेगा।


अतः इन्हे नियत समयावधि में नियमानुसार ड्यूटी ज्वार्इन करवाई जाकर पालना रिपोर्ट विभाग भिजवाये।

  
 (पवन अरोडा)  
 निदेशक एवं संयुक्त  
 शासन सचिव

क्रमांक : प.1(ग)( )का/एस.एम.ई./डी.एल.बी./16/8932-9192 दिनांक : 7/11/2016  
 प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

01. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्वा.शा.वि., राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
03. आयुक्त/उपायुक्त/अधिशोषी अधिकारी, सम्बन्धित नगर निगम/परिषद/ पालिका को प्रेषित कर लेख है कि नियुक्ति सम्बन्धि कार्यवाही तत्काल सम्पादित करते हुए नियुक्ति आदेश की प्रति विभाग को आवश्यक रूप से भिजवायें। यदि कोई अभ्यर्थी किसी कारणवश पात्र नहीं पाया जाता है तो तत्काल विभाग को लौटाते हुए कारण सहित अवगत करावें।
04. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।

05. अध्यक्ष/सचिव, राज्य स्तरीय राजस्थान नगर पालिका (अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा) आयोग, राज. जयपुर।
06. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय को भेजकर लेख है कि विभागीय वेबसाईट व सीएमएआर की वेबसाईट पर अपलोड करे।
07. कार्यालय अधीक्षक, निदेशालय को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु प्रेषित है।
08. सम्बन्धित श्री .....
09. सुरक्षित पत्रावली।

  
(डॉ विरेन्द्र सिंह)  
उप निदेशक (प्रशासन)